



न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प भोपाल

R-3271-II/12

निगरानी

/11-12

अभयराज शर्मा आ. यदुनारायण शर्मा आयु वयस्क व्यवसाय केबिल नेटवर्क एवं समाज, सेवा निवासी गैरतगंज तह. गैरतगंज जि.-रायसेन म.प्र. निगरानीकर्ता

बनाम

1. उप पंजीयक महोदय गैरतगंज तहसील गैरतगंज
2. श्री अशवाल उपपंजीयक लिपिक गैरतगंज तह. गैरतगंज जिला रायसेन म.प्र.  
..... अनावेदकगण

म.प्र. विनिर्दिष्ट भूखंड आचरण निवारण अधि. 1982 संशोधन 1992 निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.स. 1959

वांछित प्र.क. 184/दो-121/11-12 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी गैरतगंज अभयराज शर्मा विरुद्ध उपपंजीयक गैरतगंज में पारित आदेश (प्रतिवेदन) 24.7.2012 से दुखित होकर यह निगरानी प्रस्तुत है।

बाड

श्रीमान अध्यक्ष राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प भोपाल  
14/8/12 को प्रारित  
अधीक्षक

17/8/12

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
आकृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3271-दो/12 स्थान तथा दिनांक	क.य.वाही तथा आदेश	जिला रायसेन पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-7-2016	<p>निगरानी की ग्राह्यता के संबंध में निगरानी में उल्लिखित आधारों पर विचार किया गया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन दिनांक 24-7-2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक की शिकायत के आधार पर जाँच कर जिला पंजीयक को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, इससे स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 अथवा भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 के अंतर्गत कोई भी विधिक आदेश पारित नहीं किया गया है । अतः यह निगरानी विधि के प्रावधानों के अनुरूप प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अग्राह्य की जाती है ।</p>	<p>(मनोज गायल) अध्यक्ष</p>